फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री गणेश | **विपक्षी :– श्रीमती कंकु**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 15/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 05.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा नजीर RRD 2017 Page 289 श्री राजेन्द्रसिंह बनाम सतवीरसिंह पेश कर पत्थरगढी का प्रकरण खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अधिवक्ता विपक्षीगण का तर्क है कि पुराने समय से ही प्रार्थीगण व विपक्षीगण की भूमि के मध्य पत्थर की कोट बना रखी हैं पेड लगे हुए हैं सीमा विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं होना बताया हैं।

चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने का कथन किया है इस हेतु पूर्व में तहसीलदार मावली के यहां आवेदन भी पेश किया, जिसकी प्रति संलग्न हैं। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार होने से प्रार्थीगण को अपनी भूमि के सीमांकन/पत्थरगढी कराने का पूरा अधिकार हैं। पत्थरगढी किया जाने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी, जबकि सीमांकन/पत्थरगढी से प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य सीमांकन होने से विवाद भी समाप्त हो जायेगा। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुण्डाल पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 1282, 1283, 1284 किता 3 रकबा 0.9632 हेक्टेयर भूमि के उत्तर दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदार की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.18 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली